# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 75/2007

1. मोहनलाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहमण निवासी अमरसर
(मृत्क दौराने अपील)

1/1 अशोक कुमार पिता स्व. मोहनलाल

1/2 श्रवणकुमार पिता स्व. मोहनलाल

1/3 राजेन्द्र कुमार पिता स्व. मोहनलाल

1/4 हरिप्रसाद पिता स्व. मोहनलाल

1/5 प्रवीण कुमार पिता स्व. मोहनलाल

1/6 ललिता देवी पुत्री स्व. मोहनलाल

1/7 मनोरमा पुत्री स्व. मोहनलाल

1/8 द्रोपती देवी पुत्री स्व. मोहनलाल

1/9 रमा देवी पुत्री स्व. मोहनलाल

1/10 सीमा देवी पुत्री स्व. मोहनलाल

समस्त जाति ब्रहमण निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा

अपीलार्थीगण्

बनाम

1. महेश वयस्क पुत्र स्व. रामदास
2. विष्णु वयस्क पुत्र स्व. रामदास
3. कमली पत्नी स्व. रामदास
समस्त जातियान् ब्रमण निवासी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
4. मनफूली पत्नी स्व. हनुमान सहाय (मृत्क दौराने अपील)
4/1 दामोदर पुत्र हनुमान सहाय
4/2 बसन्ती पुत्री मनफुली पत्नी हनुमान सहाय
4/3 कोयली पुत्री मनफुली पत्नी हनुमान सहाय
4/4 आंची पुत्री मनफुली पत्नी हनुमान सहाय
4/5 प्रेम पत्नी स्व. सीताराम पुत्र मनफूली
4/6 राजेश पत्नी स्व. बृजमोहन पुत्र मनफूली
समस्त जातियान् ब्रहमण निवासी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
5. कैलाश पुत्र रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

प्रत्यार्थीगण्

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट निर्णय तहसीलदार शाहपुरा दिनांक 30/6/2007 जिसके द्वारा अधिनस्थ तहसीलदार शाहपुरा ने नामान्तरकरण संख्या 445 दिनांक 17/01/79 तहसीलदार विराटनगर की पुष्टि की।

निर्णय

दिनांक 29.1.2021

अपीलान्ट ने तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय 30/6/2007 जिसमें तहसीलदार शाहपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 445 दिनांक 17/01/79 तहसीलदार विराटनगर की पुष्टि की है। इसमें व्यथित होकर जरिये वकील अपील पेश की है, जिसमें वर्णित तथ्य अपीलान्ट द्वारा निम्नभांति पेश किये है।

1. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा ने मान्य अदालत श्रीमान् के निर्णय 08/3/2004 जिसके द्वारा प्रकरण उनहें रिमाण्ड किया गया था तथा पूर्ण जांच कर कार्यवाही करने की अज्ञा दी उन पर बिना विचार किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो सरकार गलत एवं अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने तथाकथित नियमन जिसके आधार पर मूल नामान्तरकरण 445 दिनांक 17/01/79 तस्दीक किया है, के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय ने बिना छानबीन किये एवं वास्तविकता का पता लगाये तथा बिना वास्तविक तथ्य रिकॉर्ड पर लिए मनमानी तरिके से अपीलाधीन आदेश पारित किये है, जो अपास्त फरमाये जाने योग्य है।
3. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का, भू-अभिलेख निरीक्षक से सम्बन्धित किसी प्रकार की जांच पडताल किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है।
4. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 22/1/79 को किया जाना नामान्तरकरण संख्या 445 ग्राम अमरसर दिनांक 17/01/79 पर अंकित है जो सरासर विधि विरूद्व है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर तनिक भी गौर विचार नहीं किया और अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।
5. यह है कि अधिनस्थ तहसीलदार ने नामान्तरकरण संख्या 445 ग्राम अमरसर पुष्टि करने से पूर्व यह भी जांच पडताल तथा तलास नहीं किया कि तथाकथित नियमन कब किस तारीख को किस-किस के पक्ष में किया गया क्या ऐसी कार्यवाही विधि सम्मत हुयी है। उक्त समस्त जांच पडताल के अभाव में अपीलाधीन निर्णय अपास्त फरमाये जाने योग्य है।
6. यह है कि प्रत्यार्थी संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वज रामदास की अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने काफी अर्से पूर्व यानि लगभग डेढ वर्ष पूर्व मृत्यु हो गयी थी मगर अधिनस्थ न्यायालय ने मृत्यु के वारिसान् को बिना रिकॉर्ड पर लिए मृत व्यक्ति के हक में निर्णय पारित किया है तो अवैध होने के कारण अपास्त फरमाये जाने योग्य है।

7. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी मुतनाजा जो अपीलार्थी की अन्य कब्जे काश्त खातेदारी भूमि के साथ मिलकर एक जाव बना हुआ है तथा मौके पर आज भी काबिज रहा है। इन सभी तथ्यों की जांच पडताल किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो अपास्त फरमाये जाने योग्य है।

8. अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार की श्रेणी में आता है। इस कारण से अपील दायर कर प्रस्तुत करने का अधिकार है।

9. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण सम्बन्धी प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो हर सूरत में निरस्त फरमाये जाने योग्य है तथा श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में उक्त विवादित भूमि है। इसलिए सुनवायी का अधिकार श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण् स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय 30/6/2007 तहसीलदार शाहपुरा निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 445 दिनांक 17/01/79 ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा निरस्त फरमाये जाने की अज्ञा प्रदान करें।

10. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील प्रस्तुत करने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समायत पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील प्रस्तुत होने रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये इसलिए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

11. बहस सुनी गयी वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम अमरसर का नामान्तरकरण संख्या 445 मुताबिक तहसीलदार विराटनगर के आदेश से दिनांक 10/01/79 को भरा जाकर ख.नं. 263 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा नियमन का तहसीलदार विराटनगर द्वारा 17/01/79 को स्वीकार किया है। उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलान्ट ने श्रीमान् माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर कोटपूतली के यहां अपील संख्या 143/2000 प्रस्तुत की गयी जिसमें श्रीमान् न्यायालय द्वारा 08/3/2004 को निर्णय पारित कर प्रकरण को रिमाण्ड कर पुनः निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान किये थे, जिसकी कार्यवाही में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा दिनांक 30/6/2007 को निर्णय पारित करते समय निर्णय में यह तथ्य पेश किये है कि नामान्तरकरण संख्या 445 बाबत खसरा नम्बर 263 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा नियमन आदेश की पालना में भरा गया है तथा तहसीलदार द्वारा 17/01/79 को तस्दीक किया गया है। नियमन आदेश के विरूद्व किसी प्रकार का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यदि किसी प्रकार की आपत्ति हो तो 14(4) में अपील प्रस्तुत कर सकता है मात्र नामान्तरकरण संख्या 445 निर्णय दिनांक 17/01/79 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण को यथावत रखा जाता है, जबकि तहसीलदार द्वारा दिनांक

30/6/2007 को निर्णय पारित करते समय नियमन बाबत कब किस तारीख को किस-किस के पक्ष में किया गया है तथा क्या ऐसी कार्यवाही विधि सम्मत हुयी है, जबकि प्रत्यार्थी संख्या 01 लगायम 03 के पूर्वज रामदास की अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व मृत्यु हो गयी थी उनके वारिसान को बिना सुने उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व मृत्यु हो गयी थी । उनके वारिसान् को बिना सुने उक्त निर्णय पारित किया है। उक्त आराजी अपीलार्थी की कब्जेकाश्त तथा खातेदारी की भूमि के साथ मिलकर एक जाव बना हुआ है तथा मौके पर आज भी काबिज है इन सभी तथ्यों को छिपाकर नजर अन्दाज कर मौके की बिना जांच पडताल किये अपीलाधीन आदेश पारित किये है, जबकि तहसीलदार शाहपुरा को नियमन बाबत छान-बीन कर वास्तविक नियमन बाबत तथ्य रिकॉर्ड पर लेकर अपीलाधीन आदेश पारित करने चाहिए थे। अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण सम्बन्धी प्रावधानों कि अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 445 दिनांक 17/01/79 गैर खातेदारी का यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये है जो हर सूरत में निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय 30/6/2007 द्वारा तहसीलदार शाहपुरा निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 445 दिनांक 17/01/79 ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा को निरस्त फरमावें ।

चूँकि नामान्तरकरण संख्या 445 बाबत खसरा नम्बर 263 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा नियमन आदेशों से तहसीलदार विराटनगर द्वारा भरा जाकर 17/01/79 को गैर खातेदारी का स्वीकार किया जाना पाया जाता है। वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में जाहिर किया है कि उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय श्रीमान् अति. जिला कलक्टर कोटपूतली के यहां अपील संख्या 143/2000 प्रस्तुत की गयी जिसमें दिनांक 08/3/2004 को निर्णय पारित कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिये गये थे कि सभी प्रभावित पक्षकारों को नियमानुसार सूचित कर सुनवायी का अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। बिना साक्ष्य सबूतों तथा नियमन सम्बन्धित बिना ठोस दस्तावेजात् प्राप्त किये एवं प्रत्यार्थी संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वज रामदास की अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व मृत्यु हो गयी थी उनके वारिसान् को बिना सुने निर्णय पारित किया है तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30/6/2007 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 445 को यथावत रखा है जो अपास्त किये जाने योग्य है, जबकि उक्त आराजी अपीलार्थी की कब्जेकाश्त तथा खातेदारी भूमि के साथ मिलकर एक जाव बना हुआ है तथा मौके पर आज भी काबिज है। इस सब तथ्यों को छिपाकर पवारी हल्का, गिरदावर से बिना मौके की जांच पडताल किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये है। तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन के निर्णय में किस तारीख को तथा किन-किन व्यक्तियों को नियमन हुआ है इसका भी कही

हवाला नहीं दिया है ऐसी सूरत में अपीलाधीन आदेश 30/6/2007 अपास्त किये जाने योग्य है तथा तहसीलदार शाहपुरा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30/6/2007 को पारित किया गया निर्णय में नामान्तरकरण संख्या 445 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये है। उक्त नामान्तरकरण को भी अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्रूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश 30/6/2007 द्वारा तहसीलदार शाहपुरा को अपास्त किया जाता है एवं अपीलाधीन आदेश 30/6/2007 को तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पारित किया गया निर्णय में नामान्तरकरण संख्या 445 दिनांक 17/7/79 वाके मौजा अमरसर तहसील शाहपुरा तस्दीक द्वारा तहसीलदार विराटनगर को यथावत रखे जाने के आदेश दिये है उसे भी अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

13. यह निर्णय आज दिनांक 29.1.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)